23/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए। बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए न ही इनकी ओर से किसी ने उपस्थिति दी। विपक्षीगण की अनुपस्थित आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं आए अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया जाता है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में जन्म से ही अधिकार प्रार्थी का पैतृक सम्पत्ति में निहित होता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। प्रत्येक अपने एक हिस्से पर काबिज होकर काश्तकर रहे हैं। मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति, अब और आगे वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरण नहीं हो इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। इस पर पत्रावली का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी गौतम का 1/4 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजियात के मूल वाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.04.01 15:11:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	
	निस्तारण तक विपक्षीगण को मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति तथा अब आगे और हस्तान्तरण नहीं हो इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय स्वीकार किया जाता है। तथा विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित बाबस्ता आराजियात की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल मूल वाद के निस्तारण तक शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.04.01 15:11:54 IST
Reason: SelfAttested